फार्म - तेरह

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-37 के उपनियम (3) देखें]

प्रतिभूति का वचन पत्र

सेवा में,

पंजीकरण / करनिर्धारण अधिकारी,
वाणिज्य कर सर्किल/खण्ड----------

महोदय,

मैं ---------- पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ---------- निवासी/निवासिनी ---------- मोहल्ला ---------- जिला ----------, ने रू0 ---------- से अनधिक धनराशि की प्रतिभूति सर्वश्री ---------- के लिए उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कोई कर, अर्थदण्ड, फीस अथवा बकाया की अदायगी हेतु दी थी। मैंने जमानती बॉण्ड दिनांक ---------- को प्रस्तुत कर दिया था। जमानत उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र को प्रदान करने अथवा जारी करने के बाबत दी गयी थी।

चूंकि, उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है अथवा फर्म, जिसके लिए जमानत दी गयी थी, के संघटन में परिवर्तन हो गया है, अतः मैं एतद्द्वारा यूपीवैट अध्यादेश, 2007 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने / रखने के संबंध में दी गयी प्रतिभूति को को स्वेच्छा से आगे बढ़ाता हूँ तथा कोई धनराशि जो रू0 ----------से अधिक न हो, का भुगतान मुझे मान्य है, जो (फर्म का नाम) ---------- द्वारा उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 अथवा यूपीवैट अध्यादेश, 2007 के अंतर्गत देय हो।

प्रतिभूति लेने वाले व्यक्ति का नाम व पता																							
दूरभाष नंबर																							
टिन											प्रभावी दिनांक												
उस व्यापारी का नाम व पता जिसके लिए प्रतिभूति ली गयी है																							
दूरभाष नंबर																							
टिन											प्रभावी दिनांक												

स्थानः
दिनांकः

प्रतिभूति लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
प्रास्थिति व मुहर

नोट- यह वचन पत्र उचित मूल्य एवं वर्ग के स्टॉम्प पेपर पर दिया जाएगा।